भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4351

उत्तर देने की तारीख : 19.08.2025

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति

4351. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत सात वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पात्र श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं;

(ख) वर्ष 2019 से एनओएस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या किन्हीं राज्यों को प्रतिवर्ष लगातार 500 से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि अत्यधिक मांग के बावजूद एनओएस योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से कुल केवल 125 स्लॉट स्वीकृत किए जाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केवल 115 स्लॉट ही स्वीकृत किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का वार्षिक कोटा बढ़ाकर कम से कम 1000 करने पर विचार करेगी, विशेषकर उन राज्यों के लिए जहां बड़ी संख्या में मेधावी आवेदक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): पिछले 7 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पात्र श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान किए गए छात्रों की संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): वर्ष 2019 से एनओएस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): इस योजना के अंतर्गत आवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विदेश में अध्ययन के लिए अपनी स्वयं की छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाते हैं। वर्ष 2021-22 में एनओएस योजना के अंतर्गत कुल सीटों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया था। इनमें से 115 अनुसूचित जातियों के लिए, 06 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए और 04 भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4351 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित संलग्नक

पिछले 7 वर्षों के दौरान एनओएस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान किए गए अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य श्रेणी के छात्रों की संख्या:

क्र. सं.	**वर्ष**	**लाभार्थियों की संख्या (विदेश गए)**			**कुल**
		अनुसूचित जातियां (एससी)	**विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां**	**भूमिहीन कृषि श्रमिक और पारंपरिक कारीगर**	
1	2018-19	44	1	0	45
2	2019-20	39	1	1	41
3	2020-21	63	5	3	71
4	2021-22	95	2	1	98
5	2022-23	93	3	2	98
6	2023-24	107	3	4	114
7	2024-25	70	5	4	79
	कुल	**511**	**20**	**15**	**546**

संलग्नक-II

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4351 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित संलग्नक

वर्ष 2019 से एनओएस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	0	4	0	0	3	3	चयनित 106 अभ्यर्थियों को अनंतिम अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं तथा इन अभ्यर्थियों को अभी अध्ययन के लिए विदेश जाना है।
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	
3	असम	0	0	0	0	1	0	
4	बिहार	0	0	1	1	1	2	
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	
6	छतीसगढ	0	0	1	0	1	0	
7	दिल्ली	5	3	2	4	8	7	
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	
9	गुजरात	0	1	4	8	6	12	
10	हरियाणा	1	3	7	2	3	1	
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	
12	जम्मू-कश्मीर	0	1	0	0	1	2	
13	झारखंड	0	1	0	0	0	0	
14	कर्नाटक	2	4	1	5	1	0	
15	केरल	1	4	4	3	3	4	
16	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	
17	मध्य प्रदेश	5	3	6	1	4	5	
18	महाराष्ट्र	20	28	43	56	68	11	
19	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	
21	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	
22	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	
23	ओडिशा	1	2	2	0	0	0	
24	पंजाब	0	1	4	5	1	6	
25	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	2	
26	राजस्थान	0	0	2	0	1	1	
27	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	
28	तमिलनाडु	2	5	7	3	4	4	
29	तेलंगाना	1	3	2	1	1	4	
30	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	
31	उत्तर प्रदेश	1	2	9	7	6	9	
32	उत्तराखंड	0	1	1	1	0	2	
33	पश्चिम बंगाल	1	5	2	1	0	4	
कुल		**41**	**71**	**98**	**98**	**114**	**79**	